न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 377/18 तारीख रजू 23/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का टोडा बनाम श्री पप्पू पुत्र रामपत जाति जाट निवासी शेखपुरा तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 13/03/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री पप्पू ने ग्राम शेखपुरा को भूमि ख.न. 560 रकबा 0.01 किस्म गै.मु.रास्ता फसल रबि / ~~खरीफ~~ संवत 2074 सरसों में कास्त कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित नही आया। उसके द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया अतिक्रमी के विरूध्द एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी जो मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है। अत : अतिक्रमी के विरूध्द कार्यवाही किया जा उचित है

अत: आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 560 रकबा 0.01 किस्म गै.मु.रास्ता वाके ग्राम शेखपुरा से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.32 00 50 गुणा 16 रु. शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल सरसों को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

रजिस्टर ग/घ के पेज नं० 120 पर
वर्ष 2017-18 में पेनल्टी/फसल नीलामी
की राशि तादादी रुपये 16 रु. पै०....
की जमा कायमी की गई।
दिनांक 15/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार महवा
तहसीलदार
महवा (दौसा)